प्रेस नोट

दिनांक- 31.01.2021

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके हत्या के अभियुक्त को कड़ी सजा दिलायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में प्रभावी पैरवी करके मु0अ0सं0 448/15 धारा 302,394,411 भादवि के अभियुक्त रिंशू उर्फ प्रतीक सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह नि0 कल्यानपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को दोषी सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हुई । परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 30.01.2021 को आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 28 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी श्रीमती जयन्ती पत्नी राकेश कुमार गुप्ता नि0 रामपुर वैधिकपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 30.05.2015 समय 08:10 बजे प्रातः को तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी के 55 वर्षीय पिता को अभियुक्त रिंशू उर्फ प्रतीक सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह नि0 कल्यानपुर थाना पीपरपुर जनपद अमेठी द्वारा हत्या कर देने की सूचना पर थाना पीपरपुर पर मु0अ0सं0 448/15 धारा 302,394,411 भादवि पंजीकृत होकर थानाध्यक्ष श्री रामराघव सिंह द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-89 दिनांक 21.08.2015 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई थी।